

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

संशोधन आदेश



विभाग द्वारा जारी निम्नांकित अधिकारियों के राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त आदेश (प्रारूप-06) में, निम्नानुसार कॉलम संख्या-6 में उल्लिखितानुसार आंशिक संशोधन एतद्वारा किया जाता है:-

क.सं	विभाग का पूर्व में जारी आदेश क्रमांक व दिनांक	नाम अधिकारी मय धारित पद व पदस्थापन स्थान	जन्म दिनांक	सेवानिवृत्ति दिनांक	अपेक्षित आंशिक संशोधन
I	II	III	IV	V	VI
1	शिविरा-माध्य/संस्था/बी-1 /45001/ सेवानिवृत्तियां- प्र0अ0/22-23/2022 /1-134 दिनांक 21.02.2022	श्री शाकिर हुसैन खान प्रधानाध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय, पायली, डीडवाना, नागौर	12.07.1962	31.07.2022	कार्मिक के संबंध में जारी सेवानिवृत्ति आदेश दिनांक 21.02.2022 में क.सं 47 पर अंकित कार्मिक का नाम शाकिर हुसैन पटान के स्थान पर शाकिर हुसैन खान पढ़ा जावे।
2	शिविरा-माध्य/संस्था/बी-2 /45002/सेवानिवृत्तियां/ प्रधानाचार्य/2021-22/ 70-91 दिनांक 21.01.2021	श्री उगम सिंह परमार सेवानिवृत्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बाली, पाली (तत्समय प्रधानाचार्य राउमावि बोया, पाली)	05.03.1962	31.03.2022	कार्मिक के संबंध में जारी सेवानिवृत्ति आदेश दिनांक 21.01.2021 में क.सं 484 पर अंकित कार्मिक का नाम उगम सिंह मंगार के स्थान पर उगम सिंह परमार पढ़ा जावे।

शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेंगी।

सत्यमेव जयते

संयुक्त निदेशक-कार्मिक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/प्रधानाचार्य/से.नि. संशोधन/2022 दिनांक:-23/05/2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1 संबंधित अतिरिक्त निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग ।
- 2 संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा ।
- 3 सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु ।
- 4 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा ।
- 5 संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ।
- 6 संबंधित संस्था प्रधान /कार्मिक ।
- 7 रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त निदेशक-कार्मिक